संख्या-03/2017/2079/41-2016-425/12

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 जनवरी, 2017**

विषय- जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-रवही में टूरिस्ट फैसिलिटी सेन्टर के निर्माण कार्य की योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1124/6-1-1(398)/2016, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत योजना जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-रवही में पर्यटन सुविधा केन्द्र हेतु फास्ट-फूड कार्नर एम्यूजमेन्ट सेन्टर, जन सुविधा पार्क आदि के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोंपरान्त आंकलित लागत रू0 445.44 लाख (रूपये चार करोड पैंतालीस लाख चौवालीस हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0 100.00 लाख की (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 28/2016/464/41-2016-425/12, दिनांक 10.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-17-जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्धसंग्रहालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में हो रही बचत से लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-20-दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सडकों का सुद्धढीकरण-24-वृहत निर्माण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 50.00 लाख धनराशि (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिन मदों से व्यय की जायेगी उसका विस्तृत विवरण, धनराशि व्यय किये जाने के शासन को उपलब्ध कराते हुए उसकी औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उन मदों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना महालेखाकार इलाहाबाद को उपलब्ध कराने एवं आंकडों का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से ससमय कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रस्तावित पुनर्विनियोग के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-17-जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्धसंग्रहालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य की धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-20-दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सडकों का सुद्धढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 1071/ई-7/दस-2016, दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-03/2017/2079(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in